

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिनियम

संख्या-22/विविध-01-24/2022...48(22)

राँची/दिनांक:- 22.08.2022

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं०-D.O.No.U.11019/08/2022 HR दिनांक-04.02.2022 एवं D.O.No.U.11019/08/2022 HR दिनांक-04.05.2022 में निहित निदेश के आलोक में The Assisted Reproductive Technology (Reproductive) Act, 2021 की धारा 12 (2) एवं The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 की धारा 35(2) के तहत झारखण्ड राज्य के लिए Appropriate Assisted Reproductive Technology & Surrogacy Authority का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के विषय प्रभारी संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव	-अध्यक्ष (पदेन)
2.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/निदेशक	-उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	महिला संगठन की एक प्रतिष्ठित महिला प्रतिनिधि	-सदस्य
4.	विधि विभाग, झारखण्ड के उप सचिव से एक अन्यून पदाधिकारी	-सदस्य (पदेन)
5.	एक पंजीकृत प्रतिष्ठित चिकित्सक	-सदस्य

2. भारत सरकार के पत्रांक-D.O.NO.U.11019/08/2022/HR दिनांक-04.05.2022 के आलोक में उपर्युक्त क्रमांक 3 एवं 5 में उल्लिखित महिला संगठन की महिला प्रतिनिधि/तथा पंजीकृत चिकित्सा पदाधिकारी के चयन एवं नियुक्ति की अधिसूचना बाद में निर्गत की जायगी।
3. Appropriate Authority का कार्य एवं दायित्व उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

राँची/दिनांक : 22.08.2022

ज्ञापांक : 22/विविध-01-24/2022 48(22)

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, वि०शि० एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड/निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापक : 22/विविध-01-24/2022 48(22)

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग भारत
सरकार/झारखण्ड राज्य के Appropriate Assisted Reproductive Technology & Surrogacy Authority
को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राँची दिनांक : 22.08.2022




(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

राँची/दिनांक : 22.08.2022
ई-गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी

ज्ञापांक : 22/विविध-01-24/2022 48(22)

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची के 200 प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।



(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव